



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

सेवा में,

पत्रांक 3660/12-1, मसूरी, दिनांक, 03/03/2020।

अधिशाली अभियन्ता,
अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड,
ऋषिकेश (देहरादून)।

विषय :-

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बौध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467 है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2257 / FP/UK/WATER/40701/2019 दिनांक 28-02-2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि के आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुवार कमियों का उल्लेख करते हुए निराकरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 एवं 15 का निराकरण हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति सम्बन्धित कार्यालय एवं इस कार्यालय से प्राप्त कर लेवें एवं ऑनलाईन / ऑफलाईन में उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुवार आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव की चार प्रति इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3660 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerdhn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-१२८५७ / FP/UK/WATER/40701/2019: देहरादून: दिनांक: २८ फरवरी, 2020.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
सिंचाई विभाग, ऋषिकेश।

विषय- जनपद देहरादून में सौंग बौघ पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण हेतु ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन (हार्ड कापी में) उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कमियाँ पायी गयी हैं:-

1. ऑन-लाईन फार्म-A पार्ट 2 के क्रमांक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौंदणा की 2.813 हे० भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट-2 के कॉलम 7 (v) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित किया गया है। सही सूचना अंकित की जाय।
2. प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 भी सम्मिलित किये गये हैं। कृपया ऑन-लाईन फार्म-A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाय।
3. ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन फार्म-A पार्ट 1 में अपलोड/संलग्न किया गया लागत-लाम विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गणनाएँ भी त्रुटिपूर्ण हैं। कृपया भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत-लाम विश्लेषण ऑन-लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी में भी संशोधित लागत-लाम विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाय।
4. मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।
5. परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुँचाने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
6. पार्ट-1 के बिन्दु "H" में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन/आख्या द्वारा संलग्न की जाय।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों/अभिलेखों में फॉर्म-2 (for project other than linear) संलग्न नहीं किया गया है।
8. ऑन-लाईन फॉर्म A के Saction L में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership certificate एवं MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है, किन्तु कतिपय खण्डों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाय।
9. ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन उपलब्ध करायी गयी हार्ड प्रति में फॉर्म A पार्ट-2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है। कृपया सही सूचना अंकित की जाय।
10. ऑन-लाईन फॉर्म A पार्ट-2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।

11. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या (Site inspection report) में मात्र 36.6034 हे० आरक्षित वन भूमि का ही उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु देहरादून वन के अन्तर्गत 6.337 हे० नाप भूमि, 20.1311 हे० सिविल सोयम भूमि, 7.89 हे० जलमग्न भूमि एवं 36.6034 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑन-लाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाय।
12. ऑन-लाईन फार्म A पार्ट 1 के Section L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ-लाईन फार्म A पार्ट 1 में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुए परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना संलग्न की जाय।
13. प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड) द्वारा अनुमोदित CAT Plan संलग्न किया जाय।
14. प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सड़क में अत्यधिक हेयर पिन बैंड दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भू-स्खलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक की संस्तुति/आख्या संलग्न की जाय।
15. प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नहीं किया गया है। कृपया दिशा संकेतक अंकित किया जाय।
अतः उक्त कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लें एवं ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

भवदीय, _____
 _____ 28/2/20
 (डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- २२५७ / FP/UKWATER/40701/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, शिवालिक/यमुना वृत्त, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
3. प्रमाणीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग, देहरादून/मसूरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्वयं से सम्बन्धित सूचनाएँ/अभिलेख ऑन-लाईन करते हुए हार्ड कापी में सलगन करना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।

28/2/20
Lmllmll
(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

10

Cost Benefit Analysis Guidelines for forest land diversion -2017

Table-A: Cases under which a cost-benefit analysis for forest diversion are required

No	Nature of proposal	Applicable/ not applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land upto 20 hectares in plains and upto 5 hectare in hills.	Not applicable	These proposals may be considered on a case to case basis and value judgement.
2	Proposal for defence installation purposes and oil prospecting (prospecting only).	Not applicable	In view of national Priority accorded to these sectors, the proposals would be critically assessed to help ascertain that the utmost minimum forest land is diverted for non-forest use.
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction.	Not applicable	These activities being detrimental to protection and conservation of forest, as a matter of policy, such proposals would be rarely entertained.
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor and medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installations like micro-wave stations, auto repeater centres, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost-benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use in the overall public interest.

Table-B: Estimation of cost of forest diversion

SN	Parameters	Remarks
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion.	Economic value of loss of eco-system services due to diversion of forests shall be the net present value (NPV) of the forest land being diverted as prescribed by the Central Government (MoEF& CC). <i>Note: In case of National Parks the NPV shall be ten (10) times the normal NPV and in case of Wildlife Sanctuary the NPV shall be five (5) times the normal NPV or otherwise prescribed by the ministry or any other competent authority.</i>
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder.	To be quantified and expressed in monetary terms or 10% of NPV applicable whichever is maximum.
3	Cost of human resettlement.	To be quantified and expressed in monetary terms as per approved R&R plan.



Cost Benefit Analysis Guidelines for forest land diversion -2017

4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	To be quantified and expressed in monetary terms on actual cost basis at the time of diversion.
5	Possession value of forest land diverted.	30% of environmental costs (NPV) due to loss of forests or circle rate of adjoining area in the district should be added as a cost component as possession value of forest land whichever is maximum.
6	Cost of suffering to oustees.	The social cost of rehabilitation of oustees (in addition to the cost likely to be incurred in providing residence, occupation and social services as per R&R plan) be worked out as 1.5 times of what oustees should have earned in two years had he not been shifted.
7	Habitat Fragmentation Cost.	While the relationship between fragmentation and forest goods and services is complex, for the sake of simplicity the cost due to fragmentation has been pegged at 50% of NPV applicable as a thumb rule.
8	Compensatory Afforestation and soil & moisture conservation cost.	The actual cost of compensatory afforestation and soil & moisture conservation and its maintenance in future at present discounted value.

Table-C—Existing guidelines for estimating benefits of forest-diversion in CBA

Sr. No.	Parameters	Remarks
1	Increase in productively attribute to the specific project.	To be quantified & expressed in monetary terms avoiding double counting.
2	Benefits to economy due to the specific project.	The incremental economic benefit in monetary terms due to the activities attributed to the specific project.
3	No. of population benefited due to specific project.	As per the Detailed project report.
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.	As per the Detailed project report.
5	Economic benefits due to Compensatory afforestation.	Benefits from such Compensatory Afforestation accruing over next 50 years monetised and discounted to the present value should be included as benefits of Compensatory Afforestation. *For benefits of CA the guideline of the Ministry for NPV estimation may be consulted.